न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : धारा सिंह मीना, RAS

अपील संख्या 02/2021

1 हमीद खां पुत्र असरफ खां जाति कायमखानी निवासी जवाहरपुरा तहसील मलसीसर जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर कस्टोडियन झुंझुनू।
2 मैनेजींग ऑफिसर कस्टोडियन राजस्थान जयपुर।
3 तहसीलदार कस्टोडियन मलसीसर तहसील मलसीसर जिला झुंझुनू।
4 राज्य सरकार भूमि अधिकारी तहसीलदार मलसीसर तहसील मलसीसर जिला झुंझुनू।
5 नुरजहां पत्नी रजाक खां।
6 अयुब खां पुत्र रजाक खां।
7 हनीफ खां पुत्र रजाक खां।
8 शमशाद खां पुत्र रजाक खां।
9 सलीम खां पुत्र रजाक खां।
10 रफीक खां पुत्र रजाक खां।
11 शरीफन बानो पत्नी मुस्ताक खां।
12 अयुब खां पुत्र मुस्ताक खां।
13 फरीद खां पुत्र मुस्ताक खां।
14 सतार खां पुत्र मुस्ताक खां।
15 जाफर खां उर्फ गफुर खां पुत्र मुस्ताक खां।
16 गोस मोहम्मदी पुत्र फीरीज खां।
17 हकीम खां पुत्र फिरीज खां।
18 मजीद खां पुत्र फिरीज खां।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

19 नानु खां पुत्र फिरीज खां।
20 फुले खां पुत्र फिरीज खां समस्त जाति कायमखानी निवासीगण जवाहरपुरा तहसील मलसीसर जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

अपील बखिलाफ आदेश व डिक्री दिनांक 18.12.2020
मुकदमा नम्बर 55/2020 बउनवानी मुकदमा हमीद खां
बनाम राजस्थान सरकार वगैरह बअदालत न्यायालय
उपखण्ड अधिकारी मलसीसर।

उपस्थिति :

1. श्री रणजीत सिंह, अधिवक्ता अपीलांट
2. राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः–14-10-2

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मलसीसर द्वारा मुकदमा नम्बर 55/2020 में पारित निर्णय दिनांक 18.12.2020 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी अपीलांट ने दावा बाबत घोषणा व रिकार्ड दुरूस्ती वास्ते भूमि खसरा नम्बर 150,153,154,155 वाके ग्राम जुहारपुरा तहसील मलसीसर प्रस्तुत किया।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुंझुनूं)

विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज कर दिया है। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में वादी अपीलांट ने साक्ष्य में स्वंय का शपथ पत्र, निसार अहमद, प्यारेलाल व रामूराम के शपथ पत्र प्रस्तुत कर प्रदर्श 01 से प्रदर्श 13 दस्तावेज प्रस्तुत किये है। विचारण न्यायालय मे प्रतिवादी की ओर से कोई जवाब दावा प्रस्तुत नही किया गया है। जवाब दावे के अभाव में केवल मौका रिपोर्ट के आधार पर तनकी कायम कर विधिक प्रकिया की अवहेलना की गई है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट के दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य का विवेचन नही किया गया है। अत अपील स्वीकार कर प्रकरण रिमाण्ड किया जावें।

राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में तहसीलदार द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। विचारण न्यायालय ने विधिक प्रकिया की पालना कर विचाराधीन निर्णय पारित किया है। इसमें कोई विधिक त्रुटि नही है। अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में वादी अपीलांट ने साक्ष्य में स्वंय का शपथ पत्र, निसार अहमद, प्यारेलाल व रामूराम के शपथ पत्र प्रस्तुत कर प्रदर्श 01 से प्रदर्श 13 दस्तावेज प्रस्तुत किये है। विचारण न्यायालय ने प्रतिवादी की ओर से कोई जवाब दावा प्रस्तुत नही किया गया है। जवाब दावे के अभाव में केवल मौका रिपोर्ट के आधार पर तनकी कायम कर विधिक प्रकिया की अवहेलना की गई है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट के दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य का विवेचन नही किया गया है। विचारण न्यायालय की आदेशिका मे कही भी तहसीलदार

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

से मौका रिपोर्ट नही चाही गई है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा विधिक प्रकिया की पालना किया जाना प्रकट नही होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारां पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री अपास्त किया जाकर प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि विधिक प्रकिया की पालना कर उभयपक्ष को सुनकर प्रकरण में गुणावगुण पर पुन विधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.11.2022 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 14/10/22 को सरे इजलास सुनाया गया।

(धारा सिंह मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर